97/19

(14)

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

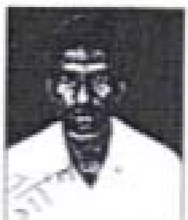

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	कृषि
2.	परगना	बिजनौर
3.	ग्राम	हसनपुर सोतली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0	भूमि खसरा संख्या- 162/1
5.	मापन की इकाई	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	0.1265 हेक्टेअर
7.	पेड़ों का मूल्यांकन	नहीं
8.	बोरिंग/कुआ/अन्य	नहीं
9.	प्रतिफल की धनराशि	रू0 2,99,805/-
10.	मालियत	रू0 1,73,937.5/-
11.	स्टाम्प	रू0 30,000/-

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

[illegible]BE [illegible]12152

चौहद्दी

खसरा नं0 162

पूरब	खसरा संख्या-चकरोड
पश्चिम	खसरा संख्या 161, 165
[illegible]	संख्या-161, 187

प्रथम पक्ष की संख्या-02 — द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेतागण का विवरण	क्रेता का विवरण
(1) राम गोपाल (2) अर्जुन पुत्रगण सावन, निवासीगण -ग्राम हसनपुर खेवली, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	कान्ती कुमार रावत पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत निवासी- ग्राम [illegible], [illegible], लखनऊ। व्यवसाय -व्यापार

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) राम गोपाल (2) अर्जुन पुत्रगण [illegible], निवासीगण–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है एवम् कान्ती कुमार रावत पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत निवासी–ग्राम रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

[illegible], रकबा 0.253 हेक्टेअर, में से अपना भाग यानि 0.1265 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, के मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00197 के [illegible] दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेतागण को विरासत में मिली है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूर्ण होशो हवास में बिना किसी [illegible] या दबाव के [illegible] विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के [illegible] में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करते है कि उपरोक्त वर्णित भूमि [illegible] विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद या वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएवउपरोक्त सम्पत्ति के

रामगोपाल

कान्ती कुमारी

फलस्वरूप रू0 2,99,805/- (रुपया दो लाख निन्यानवे हजार आठ सौ पांच मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहां स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची में अंकित [illegible]

का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता [illegible] अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस [illegible] विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु [illegible]

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज [illegible] अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी

तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.1265 हेक्टेअर की मालियत रू0 1,73,937.50/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, [illegible] की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 30,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि मे कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग [illegible] [illegible] भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया [illegible] सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या-[illegible] रकबा [illegible] हेक्टेअर, में से अपना भाग यानि 0.1265 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

रामगोपाल

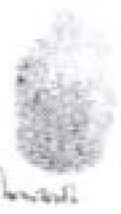

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण को रु0 2,99,805/- (रुपया दो लाख निन्यानबे हजार आठ सौ पांच मात्र) द्वारा चेक संख्या क्रमशः 479679 47?,?00 दिनांकित 12.02.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 2,99,805/- (रुपया दो लाख नये हजार आठ सौ पांच मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते है।

नोट : पृष्ठ संख्या-6 पर चेक संख्याये पेन से लिखी है।

लखनऊ

दिनांक: 13.02.2007

गवाह (विक्रेता की पहचान)

1. [illegible]

2. रामसनेही
घासीराम
मरि यल खेड़ा
अर्जुनगंज
लखनऊ

विक्रेतागण

क्रेता

मसविदाकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

(सैय्यद अनवर हुसैन)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा [illegible] के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता – [illegible]

[illegible]

बाये हाथ के अंगुलियो के चिन्ह :–

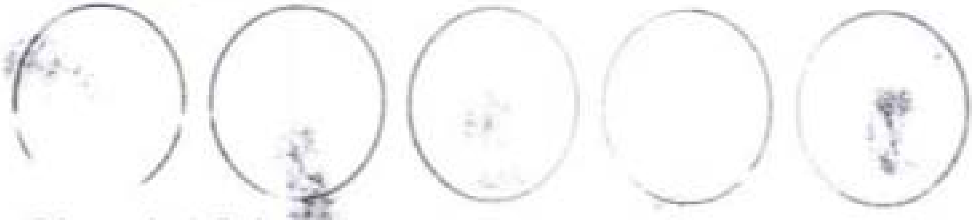

दाहिने हाथ के अंगुलियो के चिन्ह :–

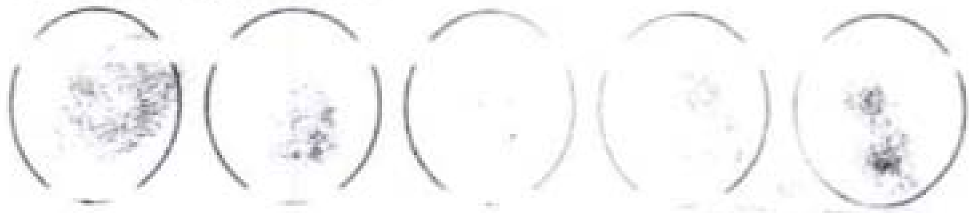

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :– [illegible]

[illegible]

बाये हाथ के अंगुलियो के चिन्ह :–

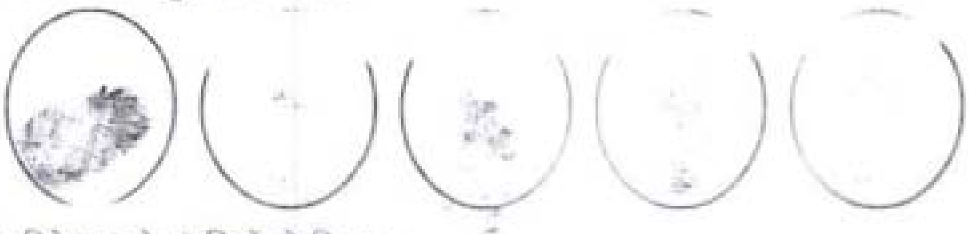

दाहिने हाथ के अंगुलियो के चिन्ह :–

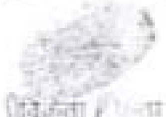

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा 32 ए0 के अनुपालन हेतु.

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता -

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

ग्राम इस्मलपुर खीवली

खसरा संख्या 1621

विक्रेता आत्माराम आदि [illegible]

क्रेता कृष्णकुमार

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित [illegible] का विवरण

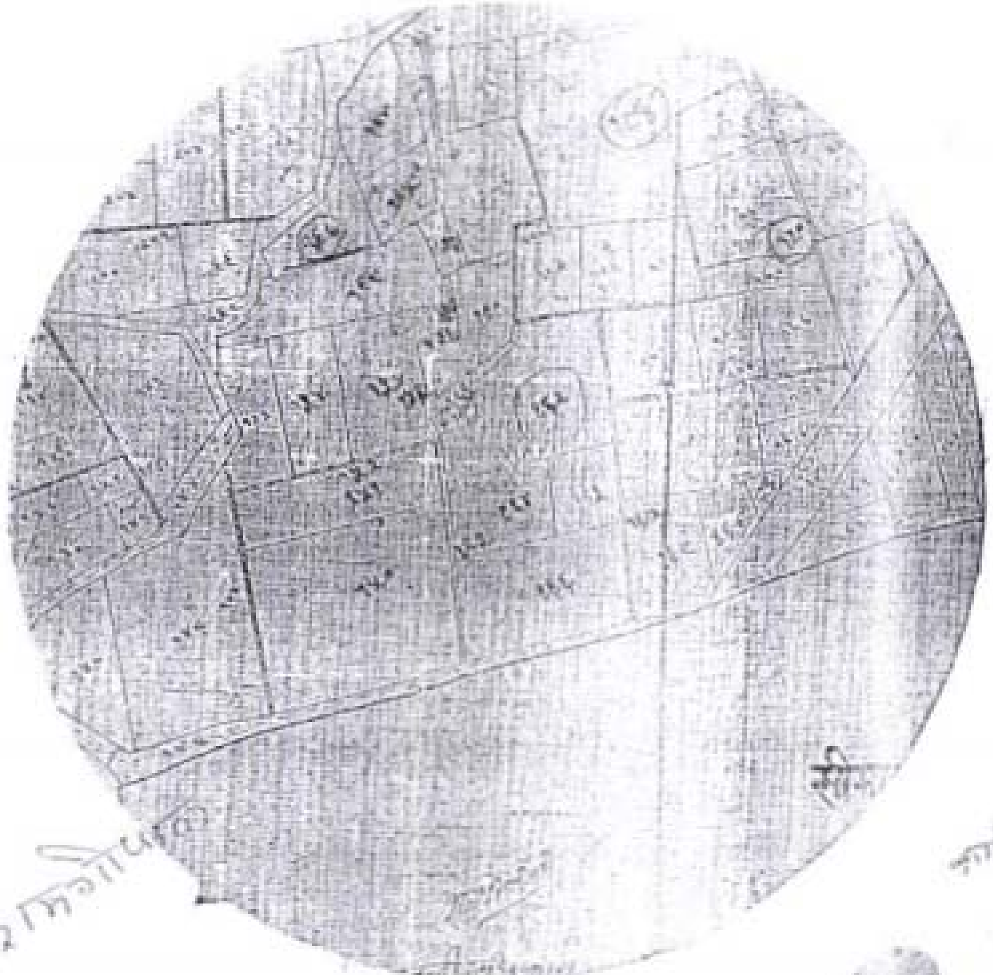

राजेन्द्र

कृष्णकुमार

[illegible]

आज दिनांक 13/02/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8116

पृष्ठ सं 217 से 234 पर क्रमांक 1466

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

डी.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

कार्यालय उप निबंधक (प्रथम) लखनऊ